निर्णय न्यायालय श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नं0	तारीख रजू	तारीख निर्णय
26/2024	16.07.2024	05.12.25

उनवान

1. रामधन पुत्र सुखचन्द जाति माली निवासी नंदपुरा तहसील तलावडा।
2. मोहनलाल पुत्र सुखचन्द जाति माली निवासी नंदपुरा तहसील तलावडा।

— वादीगण

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र जयराम जाति माली निवासी नंदपुरा तहसील तलावडा
2. तेजराम पुत्र जयराम जाति माली निवासी नंदपुरा तहसील तलावडा।
3. राजेन्द्र पुत्र जयराम जाति माली निवासी नंदपुरा तहसील तलावडा।
4. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा बामन बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
5. लैण्डहोल्डर सरकार जरिये तहसीलदार तहसील तलावडा।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट वादीगण की ओर से।

2. श्री रामदयाल त्रिवेदी , एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय

वादीगण ने यह दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम नन्दपुरा तहसील तलावडा में आराजी हाल ख0नं0 149 रकबा 1.05 हेक्टर, ख0नं0 150 रकबा 0.16 हेक्टर स्थित हैं। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के नाम मुताबिक हाल जमाबन्दी दर्ज हैं प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 ने अपनी उक्त सम्पूर्ण भूमि में से हिस्सा 2/3 को वादीगण के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30–6–2020 को विक्रय कर अपने समस्त हक हकूक समाप्त करके वादीगण के हक में निहित कर दिये। और वादीगण को मौके पर कब्जा संभला दिया। तभी से वादीगण कानूनन उक्त क्रय की गयी भूमि के काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट हो चुके हैं। वादीगण ने कई मर्तबा भूमि ख0नं0 149 रकबा 1.05 हेक्टर व ख0नं0 150 रकबा 0.16 हेक्टर के हिस्से 2/3 का नामान्तकरण जरिये मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा वादीगण के पक्ष में खुलवाने हेतु प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 3 को अनुनय विनय कर चुके हैं। जिस पर हों–हू करके टालमटोली करते हुये समय गुजारी करते आ रहे हैं व दि० 4–7–2024 को कहा कि हम तुम्हारे नाम कोई नामान्तकरण नही खुलवायेगें। इस पर वादीगण पटवारी हल्का से मिले तो पटवारी हल्का ने कहा कि जमाबन्दी में भूमि मुतदाविया बैंक ऑफ बडौदा शाखा बामनबडौदा के नाम रहन का इन्द्राज हैं इसलिये अभी तुम्हारे नाम नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता हैं। प्रतिवादीगण अपनी फैल बेजा हरकतो से तब तक बाज नहीं आवेगें जब तक कि उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमा दिया जावेगा। प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 ने दिनांक 4–7–2024 को वादग्रस्त भूमि ख0नं0149 रकबा 1.05 हेक्टर

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

व ख०नं० 150 रकबा 0.16 हेक्टर के हिस्से 2/3 का नामान्तकरण वादीगण के पक्ष में खुलवाने से इन्कार किये जाने से वाद कारण पैदा हुआ है। तहसीलदार तलावडा उक्त भूमि के लैण्डहोल्डर हैं इसलिये उन्हें दावे में पक्षकार बनाया गया हैं तथा प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 ने अपने हिस्से की भूमि को बैंक ऑफ बडौदा शाखा बामन बडौदा के यहां रहन रखी हैं। जिसके रहन का इन्द्राज भी जमाबन्दी में दर्ज हैं। इस कारण प्रतिवादी सं० 4 को पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि आराजी हाल ख0नं0 149 रकबा 1.05 हेक्टर, ख०नं० 150 रकबा 0.16 हेक्टर स्थित ग्राम नन्दपुरा तहसील तलावडा में से वादीगण को हिस्सा 2/3 का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर मुताबिक रजिस्ट्री वादीगण के नाम का अंकन दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे। 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि में से वादीगण के हिस्से को दीगर जगह रहन बय नहीं करें तथा उनके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामत न तो स्वयं करे ना हि अन्य से करावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जारिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदयाल त्रिवेदी द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के द्वारा स्वयं एवं उनके अधिवक्ता द्वारा जबाब वाद पत्र पेश नही करने के कारण दिनांक 16.07.2025 को उनका जबाब वाद पत्र बंद किया गया।

वकील वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता सं0 43 प्रदर्श –1 , नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श –2 , असल विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 30.06.2020 प्रदर्श –3 पेश किये। एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में गबाह पी0डब्लू–1 मोहनलाल पेश किये । प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नही किये गये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने वादपत्र के कथनो को दोहराते हुए कहा गया कि भूमि ख0नं0 149 रकवा 1.05 है0 व ख0नं0 150 रकवा 0.16 है0 स्थित ग्राम नंदपुरा तहसील तलावडा प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम संयुक्त रूप से जमाबंदी में दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से विवादित भूमि ख0नं0 149 व 150 ग्राम का कुल रकबा 1.21 है0 नंदपुरा का 2/3 हिस्सा (0.8866 हेक्टेयर) जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संयुक्त रूप से खरीद कर मौके पर कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 द्वारा अपने खातेदारी भूमि के 2/3 हिस्से का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श– 3 द्वारा बेचान कर दिये जाने के कारण उक्त बेचान किये गये हिस्से पर उनका कोई हक नही रह जाता है। वादीगण उक्त हिस्से के काननून काबिज काश्तकार हो चुके है। वादीगण को उनके द्वारा खरीदशुदा भूमि तलावडा खातेदार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकोर्ड में अंकन दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे । एवं जमाबंदी में बैंक के नाम चले आ रहे रहे रहन के इन्द्राज प्रतिवादीगण के पास शेष रही भूमि पर यथावत रहे। साथ ही प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय का पाबंद किया जावे की वे वादीगण खरीदशुदा हिस्से की भूमि के उपयोग– उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न करे ।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी खाता सं0 43 से यह प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 नाम दर्ज है जिसका वे बेचान करने के अधिकारी है। एवं प्रदर्श–3 असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भूमि ख0नं0 149 रकबा 1.05 है0 व 150 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 1.21 है0 स्थित ग्राम नंदपुरा में से 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा संयुक्त रूप से वादीगण के नाम बेचान किया जाना प्रमाणित होता है। गबाह पी0डब्लू–1 द्वारा विवादित भूमि के 2/3 हिस्से के बेचान प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा वादीगण के पक्ष में कर मौके पर कब्जो संभलाने का कथन किया है। अतः प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्रद्वारा ख0नं0 149 रकबा

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

1.05 है0 व 150 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 1.21 है0 स्थित ग्राम नंदपुरा तहसील तलावडा में उनके हिस्से का 2/3 हिस्से खरीद शुदा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम संयक्त रूप से दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ख0नं0 149 रकबा 1.05 है0 व 150 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 1.21 है0 स्थित ग्राम नंदपुरा तहसील तलावडा में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हिस्से में से 2/3 हिस्से (0.8066 है0) का खातेदार वादीगण को संयुक्त रूप से हिस्सा बराबर घोषित किया जाता है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर वादीगण के नाम संयुक्त रूप दर्ज किया जावे इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं कि वे वादीगण को उनके कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। भूमि पर बैंक रहन के इन्द्राज प्रतिवादी सं0 1 ता 3 पास रही शेष भूमि पर रखे जावे। निर्णय आज दिनांक 05.12.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी